

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- मरसडा

वि0ख0- सीध

जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 09/10/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	कमलेश कुमार (सो0)	अनु0	अध्यक्ष	9794886092
2	श्रीमन्त कुमार पाल	पिछड़ा	सचिव	8736846407
3	अमित कुमार विन्ड	पिछड़ा	कोषाध्यक्ष	7991620020
4	शुद्धि		सामान्य सदस्य	9793684889
5	पन्ना लाल	अनु0	सामान्य सदस्य	8090861771
6	राम शंकर	॥	सामान्य सदस्य	9569601727
7	गीता देवी	सामान्य	सामान्य सदस्य	8429004617
8	अपट शुजा	सामान्य	सामान्य सदस्य	9919841893
9	शमशेर	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	7388747131
10	सुवेदा	अनु0	सामान्य सदस्य	9305675915
11	अनू देवी	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	9582037058
12	शिवरंजन	सामान्य	सामान्य सदस्य	
13	स-पू देवी	अनु0	सामान्य सदस्य	7080146019
14	क-हैपालाल	अनु0	सामान्य सदस्य	
15	अमरेश तिवारी	सामान्य	सामान्य सदस्य	8840917776

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के समन्वय में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबंध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबंध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हों) को सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबंधन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अंगुठों
1	अमरेश कुमार शर्मा	अध्यक्ष	
2	जोसे ड सिंह	सचिव	
3	अमित कुमार विन्ड	कोषाध्यक्ष	
4	मुड़िया	सामान्य सदस्य	
5	पना लाल	सामान्य सदस्य	
6	राम शंकर	सामान्य सदस्य	
7	गीता देवी	सामान्य सदस्य	
8	अल्ट मुजा	सामान्य सदस्य	
9	शमाम चंद	सामान्य सदस्य	
10	रुवेदार	सामान्य सदस्य	
11	अनू देवी	सामान्य सदस्य	
12	शिव पूजन	सामान्य सदस्य	
13	स-ए देवी	सामान्य सदस्य	
14	क-ईमा लाल	सामान्य सदस्य	
15	अमरेश तिवारी	सामान्य सदस्य	

